

उत्तर प्रदेश शासन,  
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1  
संख्या-28/2017/669/92-1-2017-78(अधि0)/2016  
लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2017

**कार्यालय-जाप**

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को अधोतालिका के स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानांतरित करते हुये एतद्वारा अधोतालिका के स्तम्भ सं0-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

| क्र0सं0 | नाम                    | वर्तमान तैनाती   | नवीन तैनाती       | अभ्युक्ति                 |
|---------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1       | 2                      | 3                | 4                 | 5                         |
| 1-      | श्री के0सी0 श्रीवास्तव | प्रखण्ड-वाराणसी  | प्रखण्ड-श्रावस्ती | जनहित/शासकीय कार्यहित में |
| 2-      | श्री नन्द कुमार दुबे   | पी0आई0यू0-जौनपुर | प्रखण्ड-प्रतापगढ़ | जनहित/शासकीय कार्यहित में |

2- उपरोक्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त स्थानांतरण के उपरान्त उपरोक्त दोनों अधिशासी अभियंताओं को पूर्व में प्रदत्त समस्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

बाबू राम  
संयुक्त सचिव।

**संख्या-28/2017/669(1)/92-1-2017, तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- संबंधित कोषाधिकारी।
- 7- संबंधित अधीक्षण अभियंता।
- 8- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर अंकन प्रति।

आज्ञा से,

( राम रतन )  
उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।